अनुदान संख्या 14 – उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 14 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
स्वीकृत–	Voted-	3191,55,00	2244,16,31	-947,38,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			947,38,53
पूंजीगतः	**Capital:**			
स्वीकृत–	Voted-	46,05,00	18,52,60	- 27,52,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			27,52,35

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Notes and comments

1. In the revenue section of grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	28025.00	..	..	..
पु.	R.	-28025.00			
मुख्य शीर्ष ''3456'' नागरिक पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
मू.	O.	279760.00	215559.16	215558.89	- 0.27
पु.	R.	-64200.84			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''3475'' अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	2861.00	1025.08	1025.09	+ 0.01
पु.	R.	-1835.92			

(I) ₹28185.00 लाख का प्रावधान ग्यारह आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹27670.00 लाख मुख्य शीर्ष ''2552'' – ''नागरिक पूर्ति – निदेशन और प्रशासन'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" – ₹670.00 लाख; और

(खा) "मूल्य स्थिरीकरण निधि" – ₹27000.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3456" – "निदेशन और प्रशासन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" – ₹1093.46 लाख की बचत (₹7035.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹28185.00 lakhs remained wholly unutilized under eleven heads; of these ₹27670.00 lakhs accounted for under Major Head "2552"- "Civil Supplies-Direction and Administration" - under the following heads:-

(A) "Consumer Protection Cell"- ₹670.00 lakhs; and

(B) "Price Stabilization Fund"- ₹27000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "3456"- "Direction and Administration" – savings occurred under the following heads :-

(A) "Consumer Protection Cell" – saving of ₹1093.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7035.00 lakhs) was due to less receipt of proposals and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाएं" – ₹22649.82 लाख की बचत (₹26350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वस्तु और सेवा कर के संबंध में प्रचार/उपभोक्ता जागरूकता के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(B) "Projects under Consumer Welfare Fund" – saving of ₹22649.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26350.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Central Board of Indirect Taxes and Customs towards publicity/consumer awareness on Goods and Services Tax.

(गा) "मूल्य स्थिरीकरण निधि" – ₹39917.00 लाख की बचत (₹243000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Price Stabilization Fund" – saving of ₹39917.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹243000.00 lakhs);

(III) मुख्य शीर्ष "3475" – "भार तथा माप का नियमन"– निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं: –

(III) Under Major Head "3475" – "Regulation of Weights and Measures" – savings occurred under the following heads: -

(का) "भार तथा माप अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" – ₹538.61 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" – saving of ₹538.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs); and

(खा) "समय प्रसार" – ₹1036.16 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Dissemination of Time" – saving of ₹1036.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹578.32 लाख की बचतें हुई; जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत थीं।

(IV) Under two heads savings of ₹578.32 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 23 percent and 75 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5425" अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	920.00	323.97	323.93	- 0.04
पु.	R.	-596.03			
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	2900.00	1528.68	1528.67	- 0.01
पु.	R.	-1371.32			

(I) ₹835.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹835.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads.

(II) मुख्य शीर्ष "5425" – "अन्य सेवाएं – राष्ट्रीय परीक्षण शाला के लिए प्रयोगशाला भवन का निर्माण" – ₹596.07 लाख की बचत (₹920.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति से संबंधित प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5425" – "Other Services – Construction of Laboratory Building for National Test House" – saving of ₹596.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹920.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals towards procurement of machinery and equipment and requirement of less funds by Central Public Works Department.

(III) मुख्य शीर्ष "5475" – "नागरिक आपूर्ति" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईंः–

(III) Under Major Head "5475" – "Civil Supplies" – savings occurred under the following heads:-

(का) "क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला" – ₹635.28 लाख की बचत (₹1100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी तथा उपकरणों की कम अधिप्रापति होने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "समय विस्तार" – ₹596.50 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनरी तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति से संबंधित प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

4. उपभोक्ता कल्याण निधिः–

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके 1991 में की गई थी ताकि उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग बने हुए नियमों के अनुसार किया जा सके। वह धनराशि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत विनिर्माताओं को लौटाए जाने योग्य नहीं होती, उसे इस निधि में जमा कर दिया जाता है।

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 25 नवबंर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, 27 जनवरी, 1994 को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर इनमें और संशोधन करके इन नियमों को और व्यापक बनाया गया। इन नियमों में बाद में 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को भी संशोधन किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई परंतु उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने तथा देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सदृढ़ बनाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

(A) "Regional Reference Standard Laboratories"– saving of ₹635.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1100.00 lakhs) was due to less procurement of machinery and equipment and requirement of less funds by Central Public Works Department.

(B) "Dissemination of Time" – saving of ₹596.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals towards procurement of machinery and equipment and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

4. Consumer Welfare Fund:-

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilising the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

वर्ष 2021–2022 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:–

The Account of the Fund for 2021-22 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	364,54,36
प्राप्तियां	Receipts	16,96,10
अदायगियां	Payments	37,00,18
अंतशेष	Closing Balance	344,50,28